न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 225/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/693

उनवान

1. श्री ओमप्रकाश पिता किशनचन्द्र जी जाति सिंधी, उम्र–वयस्क, निवासी 3 ए 2 सवीना ग्रामीण हिरणमंगरी, तहसील गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री दिलीप कुमार पिता घनश्याम जी जाति सिंधी उम्र वयस्क, निवासी– 1400 बैंक कॉलोनी, गायत्री नगर, हिरणमंगरी, सेक्टर नं0–5 तहसील गिर्वा जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री हरीशचन्द्र पिता लाजपतराय जी जाति सिंधी उम्र–वयस्क, निवासी– 1400 बैंक कॉलोनी, गायत्री नगर, हिरणमंगरी, सेक्टर नं0–5 तहसील गिर्वा जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री उमेश कुमार मेहता पिता जमनाशंकर जी मेहता जाति ब्राहमण, उम्र–वयस्क, निवासी–नूरडा तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री गोरधन पिता देवकिशन जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी वीरधोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री घीसुलाल पिता देवकिशन जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरधोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती चान्दी पुत्री देवकिशन जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरधोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री देवीलाल पिता उदयलाल जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरधोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री नसीर मोहम्मद पिता श्री ईस्माईल जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरघोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
7. श्री नारायण पुत्र उदयलाल जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरधोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
8. श्री लहरीबाई पत्नी उदयलाल जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरघोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्री हिरालाल पिता उदयलाल जी जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी वीरघोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:48 IST
Reason: SelfAttested

10. श्री पटवारी पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)

11. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 4 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 13.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा के आराजी नम्बर 1949/688 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि हम प्रार्थीगण के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हमारी कृषि भूमि की पूर्व एवं दक्षिण दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थीगण की भूमि की पूर्व एवं दक्षिण दिशाओ का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करने का आदेश प्रदान करवाया जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 25, 26 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगणों ने पूर्व आवंटित खातेदार मोहनलाल पिता पन्ना नाई निवासी विरधोलिया को आवंटित भूमि को आवंटी के देहावसान के बाद उसके पुत्र से क्रय की है। चुंकी आवंटी मोहनलाल पिता पन्ना नाई को केवल मात्र कागजो में आवंटन की गई है। आवंटी का कभी भी उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा नही रहा न ही उसके निधन के पश्चात उसके पुत्र का रहा केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में आवंटन होने से दर्ज हो गई। क्रेतागण का आज भी मौके पर कब्जा नही है इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए उक्त पत्थरगड़ी का सहारा लिया है। जबकि आवंटी के पुत्र ने अपने नाम दर्ज भूमि को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये क्रेतागण/प्रार्थीगण को केवल मात्र कागजो में उक्त जमीन बेची [illegible] खातेदार, ना ही उसके वारिस एवं ना ही क्रेतागण का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। केवल मात्र इस प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:48 IST
Reason: SelfAttested

पत्र को पेश कर इसकी आड में उक्त जमीन को हथियाना चाहते है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आए बिना कार्यालय में बैठकर ही अपनी मनमर्जी अनुसार मौके पर विवाद होने की टिप्पणी कर दी। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया की मौके पर सीमा का विवाद है अथवा कोई ओर विवाद है। ना ही हम विपक्षीगणो को उक्त सीमा जानकारी की सूचना दी। अंत में निवेदन किया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की पत्थरगड़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलीया तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 357 पर दर्ज आराजी नम्बर 1949/688 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण का कथन है कि उक्त भूमि पर आवंटी एवं प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है इसलिए उक्त भूमि की पत्थरगड़ी नही की जा सकती है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतीत होता हो की प्रकरण में वर्णित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का नही होकर विपक्षीगण का हो। वैसे भी यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। साथ ही न्यायालय का मानना है कि यदि विपक्षीगण का प्रकरण में वर्णित भूमि पर कब्जा होता तो अवश्य ही कोई ना कोई कार्यवाही अपने नाम दर्ज करवाने की करते। ऐसा भी कोई दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : <u>आदेश</u> : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलीया तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:48 IST
Reason: SelfAttested

के खाता संख्या 357 पर दर्ज आराजी नम्बर 1949/688 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की पूर्व एवं दक्षिण दिशाओ का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:48 IST
Reason: SelfAttested